Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Supply Revision Case No.- 62 /2025]

Md. Jabbar..Appellant

Versus

The State of Bihar & Others..........................Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.10.2025	**आदेश** यह अपूर्ति पुनरीक्षण वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका सं0-17084/2019 में दिनांक-07.4.2025 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा विविध आवेदन (जन वि0प्र0 विक्रेता चयन) वाद सं0-127/2018 में दिनांक-15.3.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। विपक्षी सं0-2 (बबली देवी) का जवाब दाखिल है। दिनांक-18.10.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि वर्ष 2017 में मधेपुरा नगर परिषद अन्तर्गत वार्ड नं0-24 के लिए P.D.S Dealership हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया। Petitioner का कहना है कि उक्त के आलोक में सभी संगत certificate के साथ दिनांक-29.8.2017 को आवेदन समर्पित किया गया। परंतु उनके द्वारा कम्प्यूटर Certificate जमा नहीं किया गया। बाद में दिनांक-20.12.2017 को Computer Certificate जमा करने हेतु आवेदन दिया गया। Petitioner का कहना है कि उन्हें P.D.S Dealership हेतु Select नहीं किया गया। तदोपरांत उनके द्वारा CWJC No-20947/2018 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उनके द्वारा समाहर्त्ता, मधेपुरा के न्यायालय में विविध वाद सं0-127/2018 दायर किया गया। समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा दिनांक-15.3.2019 को पारित आदेश में उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलार्थी का कहना है कि विभागीय नियम के अनुसार अधिक उम्र वाले आवेदक को Priority दिया जाता है। वे विपक्षी सं0-2 (बबली देवी) से अधिक उम्र के हैं, इस तथ्य को समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा Overlook किया गया। उनका कहना है कि उनके पास मैट्रिक पास तथा computer knowledge का certificate है जबकि seleceted condidate विपक्षी सं0-2 (बबली देवी) इन्टरमिडीएट Pass है तथा उनके पास computer knowledge का certificate नहीं है। साथ ही Petitioner का कहना है कि विपक्षी सं0-2 (बबली देवी) के पास पक्का गोदाम नहीं है। उक्त के आलोक में समाहर्त्ता, मधेपुरा के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी सं0-2 (बबली देवी) का अभिकथन है कि वर्ष 2017 में मधेपुरा नगर परिषद अन्तर्गत वार्ड नं0-24 के लिए P.D.S dealership हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उनका चयन बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) नियमावली, 2016 के नियम 9(v) के अनुसार किया गया है। उनके द्वारा इस पुनरीक्षण वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

30.10.2025	बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) नियमावली, 2016 के नियम 9(v) के अनुसार "The applicant of a fair price shop's license must be matric pass and an adult; Provided that the applicant having computer knowledge shall be given priority. In case of equality in computer knowledge, the applicant having highest qualification and in case of equality in highest qualification also the applicant of older age shall be given priority". उभय पक्ष के Final बहस सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि Revisionist मैट्रिक पास हैं जबकि विपक्षी सं0-2 (बबली देवी) इन्टरमिडीएट पास हैं। Revisionist का यह self admission है कि उनके द्वारा computer knowledge का प्रमाण पत्र आवेदन दाखिल करने के चार माह बाद जमा किया गया था। सुनवाई में Revisionist की ओर से उक्त computer knowledge certificate को निर्धारित विभागीय मापदंडों के अनुसार valid मानने का आधार Establish नहीं किया जा सका है। उपरोक्त स्थिति में highest qualification वाले अभ्यर्थी विपक्षी सं0-2 (बबली देवी) का PDS dealer के रूप में चयन विधिसम्मत है। अतः इस Revision Case को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Pujya K. 30/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Pujya K. 30/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा